शहर के मुख्यमार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराएं, कलेक्टर ने दिए निर्देश

मंडला, देशबन्धु। बैगा-बैगी चैक से बड़ चैराहा तक नगर के मुख्य मार्ग पर सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने औचक भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। सड़क के दोनों ओर नगरपालिका कॉम्पलेक्स की दुकानों के सामने लगाए गए पार्किंग ब्लॉक्स पर पार्किंग के निशान लगाएं। दुकान संचालकों को पार्किंग एरिया में ही वाहनों को पार्क कराने के लिए ताकीद करें। प्योर ब्लॉक्स पर गंदगी करने वाले ऑटोपार्टस की दुकानों के संचालकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही करें। जिन दुकानों में निर्धारित स्थान के बाहर तक सामग्री सजाकर रखी गई है उन पर भी फाईन लगाएं। इस दौरान एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, तहसीलदार मंडला हिमांशु भलावी, नगर निरीक्षक कोतवाली मंडला शफीक खान, नगर निरीक्षक यातायात ललित धुर्वे सहित पुलिस बल एवं नगरपालिका की टीम उपस्थित रही।

निराश्रित पशुओं को गौशाला में शिफ्ट करें- मुख्य मार्ग के भ्रमण के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क पर बैठे अथवा यहां-वहां घूम रहे निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में शिफ्ट करें। यह सुनिश्चित करें कि सड़क पर निराश्रित पशु न पाए जाएं। रेडक्रॉस चैराहे के पास अस्थाई रूप से बैठकर चारा विक्रय करने वालों को मंडी परिसर में शिफ्ट करवाएं। उठाए गए सड़क पर खड़े वाहन, स्पॉट फाईन किया गया।

कलेक्टर तथा एसपी के नगर भ्रमण के दौरान पार्किंग क्षेत्र के बाहर सड़क किनारे खड़े दोपहिया तथा चारपहिया वाहनों को पुलिस एवं नगरपालिका की टीम द्वारा जप्त किया गया। जप्त वाहनों को तत्काल थाना कोतवाली परिसर भेजा गया। जिन वाहन मालिकों ने सड़क किनारे लापरवाहीपूर्वक वाहन खड़ा किया था उन पर स्पॉट फाईन भी लगाए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि 10 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि नगरपालिका एवं राजस्व की टीम नियमित रूप से इसका फॉलोअप करें।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया नगर का औचक भ्रमण

पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य

सीएससी सेंटर में जाकर अपनी फार्मर आइडी बनवाएं किसान

मंडला, देशबन्धु। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एगोस्टैक योजना अतंर्गत प्राप्त निर्देश अनुसार प्रत्येक किसान की फार्मर आइडी बनाये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमिस्वामी को एक यूनिक आईडी भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान की जा रही है। यह किसानों को सरकारी सेवाओं का लाभ देने हेतु भारत सरकार की एक नई पहल है, इससे किसानों को वर्तमान में कृषकों को आसानी से केसीसी ऋण कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जा सकेगा। इसके साथ ही मार्च 2025 के उपरांत पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर आईडी अनिवार्य होगा। वर्तमान में जिले में कुल 161244 कृषकों की फार्मर आइडी बनाये जाने का लक्ष्य है अभी तक 111654 का पंजीकरण सफलतापूर्वक कराया जा चुका है।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा जिले के समस्त पीएम किसान योजना लाभार्थी किसानों से यह अपील की गई है कि अपने क्षेत्र के पटवारी, स्थानीय युवा से संपर्क कर अथवा अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर अपनी फार्मर

आइडी बनवायें। साथ ही ऐसे कृषक जिनको फॉर्मर आईडी बनवाते समय मोबाईल पर ओटीपी न आना जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है वे अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क करने अपने आधार से अपने मोबाईल नंबर को लिंक करवायें। प्रत्येक तहसील में पंचायत स्तर पर आगामी 20 मार्च तक कैंप लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त कैंपों में संबंधित कृषक पहुंचकर अपनी फार्मर आईडी तैयार करवा सकते हैं। फार्मर आईडी से किसानों को भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।

सार-समाचार

ज्ञानदीप स्कूल के निर्माणाधीन भवन का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

मंडला, देशबन्धु। नगर के भ्रमण के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ज्ञानदीप इग्लिश मीडियम हायरसेकेंडरी स्कूल परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। नए बनाए जा रहे भवन में भूतल तथा प्रथम तल में चार-चार स्मार्ट क्लास रूम तथा द्वितीय तल में हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन हो सकेगा। इसके लिए पुराने ज्ञानदीप स्कूल के कार्यालय के भवन को ध्वस्त किया गया है। साथ ही नीव का कार्य प्रारंभ है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं तथा तोड़े गए पुराने भवन का मलबा व्यवस्थित रखें। निर्माण में गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, तहसीलदार मंडला श्री हिमांशु भलावी सहित संबंधित उपस्थित थे।

महिला बैंककर्मी से 42 लाख रुपए की साइबर ठगी

दमोह, देशबन्धु। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र में एक महिला बैंक कर्मी से 42 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई थी। इसी मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन गांव के संदेहियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी तो उन्हें छोड़ दिया गया। इन दिनों साइबर फ्राड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली की हटा एवं आसपास के गांव के एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा संगठित होकर साइबर ठगी की जा रही है।

जानकारी लगते ही हटा मडियादो, बरौदा, टिकरिया, खैरी, बगा और भरौटा आदि गांव के एक दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। इसमें कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल थे। पुलिस ने सभी से अलग-अलग करीब तीन दिनों तक पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिलने पर सभी को छोड़ दिया गया। इस पूछताछ के बाद सभी गांव में लोग कई प्रकार की बातें कह रहे हैं। क्योंकि ग्रामीणों को किसी अपराध के बारे में जानकारी ही नहीं है। गांव में पुलिस के पहुंचने पर लोग दहशत में जरूर आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने किसकी निशानदेही पर एक साथ एक दर्जन से अधिक लोगों को एक के बाद एक उठाया यह सवाल अब भी बना हुआ है। बता दें कि इन लोगों के खातों में साइबर ठगी के रुपये ट्रांसफर होते थे एवं यह सभी अपनी कमीशन की राशि काटकर किसी एजेंट को दे देते थे। हटा टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय का कहना है कि चार लोगों से पूछताछ की है। बैंक महिला कर्मचारी से 42 लाख रुपये ट्रेडिंग मामले में ठगी होने पर पूछताछ के लिए लाया गया। कुछ नाबालिग थे, जिनकी 12वीं की परीक्षा चल रही है। इसलिए छोड़ दिया। आगे कार्रवाई जारी है, सभी की डिटेल निकलवा रहे हैं।

गर्मी से जुड़ी परेशानियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

दमोह, देशबन्धु। गर्मी ने अपनी आहट दे दी हैए तापमान में उत्तरोत्तर तपिश देखी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश जैन ने एडवाईजरी जारी कर बताया कि सामान्यत: सिरदर्द, बेहोशी, मतली, उल्टी, पेट में ऐंठन, मांसपेशियों में अकड़न, चिड़चिड़ापन, लू जैसी परेशानियां होना गर्मी में आम है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां बरतें और सुरक्षित रहें ।सीएमएचओ डॉ जैन ने बताया भरपेट ताजा भोजन व पानी पीकर ही घर से निकलें।

वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित

मंडला, देशबन्धु। आज वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर वेदी प्रतिष्ठा के अंतिम दिन के उपलक्ष्य में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी व समस्त दादी परिवार को मूलनायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान जी को विराजमान करने का और प्रथम मस्तकाभिषेक करने का अवसर मिला इस उपलक्ष्य में महाआरती की शोभायात्रा विद्या निलय निज निवास में (डा. शैलेन्द्र गुप्ता की गली) भगतसिंह वार्ड से श्री शांतिनाथ दि. जैन मंदिर जी से होते हुए श्री पार्श्वनाथ दि . जैन मंदिर जी के लिए प्रस्थान करेंगे वहां पर भव्य महाआरती पश्चात 48 दीपकों से भक्त्तामर जी का पाठ और भैया जी के प्रवचन होंगे । अत: आप सभी से निवेदन है कि शोभायात्रा में अवश्य पधारें।

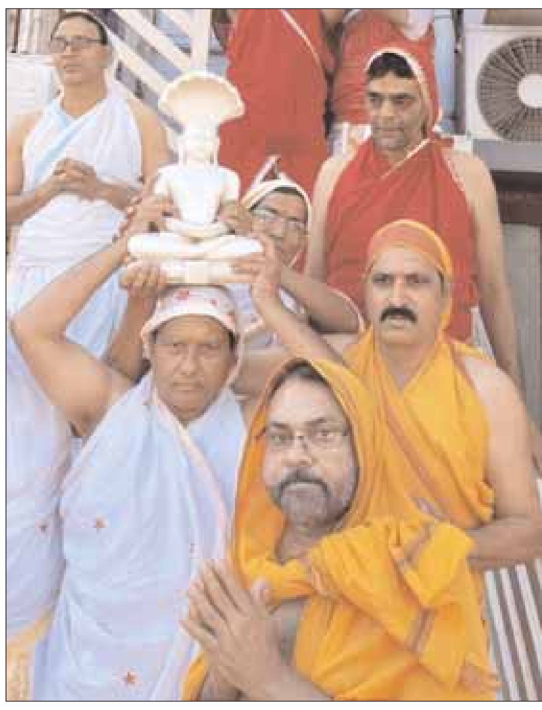

आदिवासी नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म

डिंडोरी. देशबन्धु। आदिवासी नाबालिग के साथ रेप हुआ है. इस बात खुलासा उस वक्त हुआ है जब जिला अस्पताल में नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को मुरकूटा मोतीनाला जिला मंडला से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुरकूटा गांव मोतीनाला जिला मंडला निवासी ईश्वर मजदूरी करता है। वह डिंडोरी स्थित गांव में अपने रिश्तेदार के घर गया था। जहां पर उसकी दोस्ती आदिवासी नाबालिगा से हो गई. दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे, यहां तक कि ईश्वर उसके घर तक आने जाने लगा। इस दौरान उसने मौका पाकर नाबालिगा से शादी करने का कहकर शारीरिक संबंध बना लिए। इस बीच नाबालिग गर्भवती हो गई।

निर्माणाधीन पासपोर्ट कार्यालय का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

मंडला, देशबन्धु। नगर भ्रमण के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने मुख्य डाकघर परिसर में निर्माणाधीन पासपोर्ट कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने पोस्ट मास्टर से भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, तहसीलदार मंडला हिमांशु भलावी, नगर निरीक्षक कोतवाली मंडला शफीक खान, नगर निरीक्षक यातायात ललित धुर्वे सहित पुलिस बल एवं नगरपालिका की टीम उपस्थित रही।

नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक 10 को

मंडला, देशबन्धु। वीडियो कॉन्फ्रेस में दिये गये निर्देशानुसार नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत राज्यस्तरीय समिति की बैठक 12.11.2024 को प्रमुख सचिव महोदया, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रमुख सचिव महोदया के निर्देशानुसार नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही जिला स्तरीय नारको कोर्डिनेशन (एन.सी.ओ.आर.डी.) की बैठक प्रतिमाह द्वितीय सोमवार (टी.एल.) के पश्चात् किये जाने हेतु लेख है।

10 मार्च को टीएल के पश्चात योजना भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें सर्वसंबंधित को प्रतिवेदन सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

वसूली के लिए 21 बकायादारों को नोटिस जारी

मंडला, देशबन्धु। तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बिछिया ने बताया कि तहसील बिछिया क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के भू-राजस्व/डायवर्सन वसूली के लिए सुदीपगिरी ग्राम भुआ रैयत से 43950 रूपए, संदीप गिरी ग्राम भुआ रैयत से 43950 रूपए, सुनिता ठाकुर ग्राम भुआ रैयत से एक लाख 5 हजार 782 रूपए, सीमंत भट्ट ग्राम भुआ रैयत से एक लाख 98 हजार 117 रूपए, सुधीर साहू ग्राम भुआ रैयत से 50 हजार रूपए, निलेश गिरी ग्राम भुआ रैयत से 40 हजार 200 रूपए, महेन्द्र ग्राम बिछिया रैयत से 16 हजार 767 रूपए, धीरेन्द्र ग्राम बिछिया रैयत से 4 हजार 52 रूपए, चंद्रकांत शर्मा ग्राम भुआ रैयत से 29 हजार 994 रूपए, श्री अनुपम अग्रवाल ग्राम भुआ रैयत से 8 हजार 446 रूपए, भीष्म राय ग्राम बिछिया रैयत से 62 हजार 193 रूपए, अतुल कटारे ग्राम बिछिया रैयत से 7 हजार 570 रूपए, श्रीमती रामेश्वरी ग्राम बिछिया से 65 हजार 501 रूपए, पुष्पभान राठौर ग्राम बिछिया रैयत से 24 हजार 327 रूपए, डायोसेशन कॉर्पोरेशन ऑफ जबलपुर ग्राम कुड़ैला रैयत से 46 हजार 350 रूपए, अकांक्षा पांडे ग्राम बिछिया रैयत से 39 हजार 793 रूपए, सुश्री ऊषाकिरण मरावी ग्राम बिछिया रैयत से 12 हजार 2 रूपए, बापा वनवासी सेवा मंडल ग्राम बिछिया रैयत से 32 हजार 403 रूपए, राजेश पांडे ग्राम बिछिया रैयत से 34 हजार 254 रूपए, इस्माईल खान ग्राम बिछिया रैयत से 13 हजार 431 रूपए, श्रीमती अंजना राय ग्राम बिछिया रैयत से 45 हजार 445 रूपए बकायादारों से वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि बकायादार बकाया राशि का भुगतान भू-लेख पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर चालान की एक प्रति कार्यालय में 2 दिवस में जमा करें अन्यथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के अंतर्गत चल/अचल संपत्ति कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।

कपिल वर्मा बने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष

मंडला, देशबन्धु। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा जिले में संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। महासभा ने कपिल वर्मा को जिला अध्यक्ष, मंडला (मध्यप्रदेश) पद पर मनोनीत किया है। यह नियुक्ति महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शशिकांत भटनागर की अनुशंसा पर की गई है। कपिल वर्मा को अगले एक वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक इस पद पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। महासभा ने विश्वास व्यक्त किया है कि वे अपने कार्यों के माध्यम से संगठन को और अधिक सशक्त बनाने में योगदान देंगे।

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठन सामाजिक सेवा, संस्कृति, शिक्षा, सहयोग एवं कायस्थ समाज के उत्थान हेतु निरंतर कार्यरत है। महासभा के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएं। अपने कार्यकाल के दौरान कपिल वर्मा संगठन की नीति एवं कार्यक्रमों के संचालन में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न विचारधाराओं और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाते हुए समाज के हित में कार्य करें एवं महासभा को मजबूत बनाएं।

इस नियुक्ति की सूचना महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों सुबोधकांत सहाय (राष्ट्रीय अध्यक्ष), मुकेश श्रीवास्तव (वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष), रामेश्वर मोहन श्रीवास्तव (राष्ट्रीय महामंत्री), शशिकांत भटनागर (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष) और राजीव राय (प्रदेश महामंत्री) को भी दी गई है। यह नियुक्ति 4 मार्च 2025 को जारी की गई एवं तत्काल प्रभाव से लागू होगी। महासभा ने आशा जताई है कि कपिल वर्मा अपने पद की जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाते हुए समाज एवं संगठन की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

हत्या के जुर्म में चार को उम्रकैद

दमोह, देशबन्धु।. न्यायालय उदय सिंह मरावी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) दमोह की अदालत ने हत्या के दोषी अनिल तिवारी 33 वर्ष,लालू उर्फ राज तिवारी 25 वर्ष, उमाशंकर तिवारी 59 वर्ष और ऋषि तिवारी उर्फ ऋषभ 28 वर्ष सभी निवासी-टगरा मोहल्ला सिंग्रामपुर दमोह को भां.द.वि. की धारा 302/34 व 3(2) (वी) एससीएसटी एक्ट में आजीवन-आजीवन कारावास से दण्डित किया है। मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशचंद पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या द्वारा की गई व विवेचना तत्कालीन डीएसपी अशोक चौरसिया के द्वारा की गई।

आम सूचना

मैं दीपचंद खाण्डेल एवं मैं श्रीमति कुसुमलता खाण्डेल निवासी ईइन गाईन कालोनी लालीपुर मण्डला इस आम सूचना के माध्यम से सर्व साधारण को यह सूचित करते हैं कि:-

मेरी पुत्र बधु ममता खाण्डेल के द्वारा अनैतिक आचरण कर हमारे विरूद्ध झूठी शिकायतें थाना मण्डला में एवं अनेक प्रकार के दाण्डिक प्रकरण न्यायालय मण्डला में दर्ज कराये जा रहे हैं तथा अनावश्यक वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा कर मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा मेरा पुत्र संजय खाण्डेल भी विगत 2 वर्षों से हमारे साथ नहीं रह रहा है जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। पुत्र संजय खाण्डेल के नाम पर न्यायालय थाना आदी से अनेक समंस हमारे पते पर आते हैं जिनका हमसे कोई संबंध नहीं है।

उपरोक्त करणों से हम दोनों वयोवृद्ध दीपचंद खाण्डेल उम्र 68 वर्ष एवं कुसुमलता खाण्डल उम्र 59 वर्ष पुत्र संजय खाण्डेल एवं उसकी पत्नि ममता खाण्डेल से अत्याधिक प्रताड़ित हो चुके हैं। इस कारण से हम दोनों अपने पुत्र संजय खाण्डेल एवं उसकी पत्नि ममता खाण्डेल से अपने सारे रिश्ते नाते समाप्त कर रहे हैं तथा दोनों को अपनी समस्त चल, अचल सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार से बेंदखल करते हैं। भविष्य में हम इन दोनों के कोई व्यवहार तथा किसी भी प्रकार के दायित्त्व के उत्तरदायी नहीं होगें तथा इन दोनों के विवादों से हमारा कोई संबंध नहीं होगा। हम दोनों पति-पत्नि अपना शेष जीवन शांति के साथ व्यतीत करना चाहते हैं इस हेतु यह सूचना सर्व साधारण को समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अवगत करायी जा रही है।

मण्डला, दिनाँक 05/03/2025

भवदीय
दीपचंद खाण्डेल/कुसुमलता खाण्डेल